पर कुछ महीने बाद विचार करने का रिजर्व बैंक का इरादा है ।

बैंक में काम आने वाले फार्मों को हिन्दी या हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में चलाने और बैंक की अधिसूचनाओं (नोटिफिकेशन्स) को हिन्दी में प्रकाशित करने के प्रश्न पर उस समय विचार किया जायेगा जब बैंक व्यवसाय (बैंकिंग), मुद्रा (करेंसी) और सम्बद्ध विषयों से सम्बन्ध रखने वाले हिन्दी के तकनीकी शब्दों का मानकीकरण (स्टैण्ड-र्डाइजेशन) हो जायेगा और जब देश की सारी बैंक-व्यवस्था इन मानकित (स्टैण्डर्डाइज्ड) शब्दों को अपनाने योग्य हो जायगी । रिजर्व बैंक इस सम्बन्ध में स्थिति की समय-समय पर जांच करता रहता है ।

†[THE MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI R. DESAI): The bank proposes to consider after a few months the question of teaching Hindi, Hindi typing and Hindi short-hand to its employees.

The question of introducing forms in Hindi or bilingual forms in English and Hindi for use in the bank and of publishing the bank's notifications in Hindi will be examined, when technical terms in Hindi relating to banking, currency and allied subjects have become standardised and when the banking system in the country as a whole is in a position to adopt such standardised terms. The position is being reviewed by the bank from time to time.]

केन्द्रीय उत्पादन-शल्क तथा आयकर विभागों के फार्मों का हिन्दी में अनुवाद

२९१. **श्री नवाबसिंह चौहान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग तथा आयकर विभाग के क्रमशः कितने कितने फार्मों का अब तक हिन्दी में अनुवाद नहीं हुआ है ;

(ख) इन विभागों के जिन फार्मों का हिन्दी में अनुवाद हो चुका है उनमें से कितने अभी तक हिन्दी में या द्विभाषी रूप में हिन्दी और अंग्रेजी में नहीं छापे गये हैं ; और

(ग) इस संबंध में शेष काम को शीघ्रता से पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†[TRANSLATION INTO HINDI OF FORMS OF THE CENTRAL EXCISE INCOME TAX DEPARTMENTS

291. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) how many forms pertaining to the Central Excise Department and the Income Tax Department respectively have not so far been translated into Hindi;

(b) how many forms pertaining to these Departments which have been translated into Hindi have not so far been printed in Hindi or in Hindi and English in the bilingual form; and

(c) what steps are being taken to complete the remaining work expeditiously in this respect?]

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) एक विवरण इसी के साथ संलग्न है, जिसमें मांगी गयी सूचना दी गयी है । [देखिये परिशिष्ट ४१, अनुपत्र संख्या २६ ।]

†[THE MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI R. DESAI): (a) to (c) A statement showing the information is attached. (See Appendix XLI, Annexure No. 26.)]

†[ ] English translation.